

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-988 / 2014

संस्थित दिनांक-29.10.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना बैहर – – – – – अभियोजन

विरुद्ध

सुरेश पिता रतनलाल, उम्र 30 वर्ष,
निवासी वार्ड नं० 12 आबकारी टोला, थाना बैहर
जिला-बालाघाट(म.प्र.) – – – – –

अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक 29.10.2014 को घोषित)

निष्कर्ष

अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध हेतु पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 34(1) म.प्र. आबकारी अधि. के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परीविक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश

दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को प्रमाणित अपराध के लिए धारा 34(1) म.प्र. आबकारी अधि. के आरोप में दोषसिद्धि पर न्यायालय अवधि अवसान तक कारावास एवं 600/-रुपये (शब्दों में छः सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

जप्तशुदा शराब विधिवत तत्काल नष्ट की जावे।

बैहर
दिनांक-29.10.2014

(सिराज अली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट